अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 34/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय शर्मा जाति बागडा ब्राह्मण निवासी मामा की ढाणी, पुलिस थाना भांकरोटा, जयपुर हाल निवास ए–4, न्यू कालोनी, सिरसी, पुलिस थाना बिन्दायका, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक जयपुर ।
2. हनुमान सहाय शर्मा पुत्र श्री हरबक्श शर्मा
3. श्रीमती धापू देवी पत्नी श्री हनुमान सहाय शर्मा
   जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी 171, मामा की ढाणी, पुलिस थाना भांकरोटा, जयपुर ।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 09.02.2021 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 24/2016 ब उनवानी हनुमान सहाय शर्मा बनाम ओम प्रकाश शर्मा

उपस्थितः–
1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित है।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 20.03.2024**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 24/2016 ब उनवानी हनुमान सहाय शर्मा बनाम ओम प्रकाश शर्मा में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2021 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 4963/2021 आदेश दिनांक 01.06.2023 की पालना में यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर एक परिवाद अन्तर्गत धारा 5, 9 एवं 21 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा था, जिसे अधीनस्थ अधिकरण ने दिनांक 09.02.2021 को स्वीकार कर अपीलार्थी को प्रतिमाह 7000/–रूपये बतौर भरण पोषण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जरिये चैक बैंक ऑफ बडौदा वैशाली नगर जयपुर स्थित रेस्पोडेन्ट्स के खाता में जमा कराने एवं हारी–बीमारी मे रेस्पोडेन्ट्स की सेवा करने एवं रेस्पोडेन्ट्स को हैरान व परेशान नहीं करनें तथा बिना किसी बाधा के शान्तिपूर्वक रहने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा उक्त प्रकरण अपीलार्थी के विरूद्व कतई झूंठा व द्वेषभावना से पीडित होकर दर्ज करवाया गया है, जबकि उक्त प्रकरण में वर्णित किसी भी घटना का वास्तविकता से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। उक्त तथ्य पर भी अधीनस्थ अधिकरण द्वारा कोई गौर नहीं कर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के प्रति प्रारम्भ से ही अपने नैतिक दायित्वों का भली प्रकार निर्वहन किया जाता रहा है तथा उक्त तथ्य से अधीनस्थ अधिकरण को अवगत करवाये जाने के बावजूद भी अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उक्त आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी अपनी पत्नी के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के रोज रोज के क्लेशों से आहत होकर विगत लगभग 6 वर्षो से पृथक स्वयं की पुश्तैनी सम्पत्ति होने के बावजूद भी किराये के मकान में निवास करता आ रहा है, लेकिन उक्त तथ्य पर भी अधीनस्थ अधिकरण द्वारा कोई गौर नहीं कर आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के द्वारा पेश किये गये परिवार का लिखित जबाब प्रस्तुत किया गया तथा जबाब में वर्णित तथ्यों की गवाही करवा कर ताईद भी करवाई गई, लेकिन उक्त तथ्य पर भी अधीनस्थ अधिकरण द्वारा कोई गौर नहीं कर अलौच्य आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी 2 व 3 की सम्पत्ति में 22–23 कमरे स्थित है जिनमे से रेस्पोडेन्ट्स द्वारा 17 कमरों को किराये दिया हुआ है जिसके लगभग प्रति माह 40,000/–रूपये की आय प्राप्त होती है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा अपने खातों में जमा कराई जाती रही है। ऐसी सूरत में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 अपीलार्थी से किसी प्रकार की कोई भरण पोषण राशि प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी नहीं है। अतः अपील स्वीकार फारमाई जाकर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पति आलौच्य आदेश दिनांक 09.01.2021 को निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट्स का पुत्र है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपने पुत्र से भरण पोषण राशि प्राप्त करने के अधिकारी है । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 5, व 9 के तहत भरण पोषण का परिवाद पेश करने पर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

09.02.2021 पारित कर अपीलार्थी ओम प्रकाश शर्मा को 7,000/–रूपये प्रतिमाह की 10 तारीख तक बतौर भरण पोषण राशि रेस्पोडेन्ट्स के खाते में जमा कराने का आदेश दिये है जो विधि सम्मत व उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 09.02.2021 को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश निम्न प्रकार है – " अप्रार्थी ओम प्रकाश शर्मा पुत्र हनुमान सहाय शर्मा जाति बागडा ब्राह्मण आयु लगभग 35 साल निवासी 171 मामा की ढाणी थाना भांखरोटा जयपुर प्रतिमाह 7,000/– रूपये प्रार्थीगण को बतौर भरण पोषण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जरिये चैक बैंक ऑफ बडौदा की ब्रांच वैशाली नगर जयपुर के खाता संख्या 29618100001642 आईएफसी कोड BARBOVAIJAI में जमा करायेंगे तथा साथ ही अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि हारी बीमारी में प्रार्थीगण की देखभाल करेंगे। अप्रार्थी, प्रार्थीगण को किसी प्रकार से हैरान व परेशान नहीं करेंगे तथा प्रार्थीगण को मकान नम्बर 171 मामा की ढाणी, सिरसी रोड, जयपुर राजस्थान में बिना किसी बाधा के शान्ति पूर्ण जीवन यापन से निवास करने दे।" चूंकि अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट का पुत्र है । माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 9 (2) के तहत पुत्र से माता पिता को अधिकतम 10,000/–रूपये तक का भरण पोषण दिलाया जा सकता है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उभय पक्ष को सुन कर राशि 7,000/–रूपये प्रतिमाह भरण पोषण की निर्धारित की गई है जो उचित है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा माता पिता को हैरान व परेशान नहीं करने हेतु भी पुत्र को पाबन्द किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

3. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner